छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email: - office.rera.cg@gov.in Website: - https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–32/रेरा/2019/2437 रायपुर, दिनांक 24/10/2019,

//परिपत्र//

विषय :– रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति अद्यतन करने के संबंध में।

–––00–––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 में प्रमोटर्स द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से संबंधित कतिपय जानकारियों/विवरणों के त्रैमासिक रूप से अद्यतन किये जाने संबंधी प्रावधान उपबंधित किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए द्वितीय त्रैमासिक अपडेशन हेतु दिनाँक 31.10.2019 तक की समयावधि निर्धारित की गई थी।

2. प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य प्राप्त हुए है कि दिपावली त्यौहार में प्रमोटर्स/बिल्डर्स/कॉलोनाईजर्स के बहीखातों का ऑडिट भी होता है। इस कारण वर्तमान में चार्टेड एकाउंटेन्ट्स उक्त कार्य में व्यस्त है। इसके कारण प्रमोटर्स को द्वितीय त्रैमासिक अपडेशन में कुछ व्यवहारिक कठिनाईयॉ उत्पन्न हो रही है। अतः प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्वितीय त्रैमासिक अपडेशन हेतु पूर्व नियत समयावधि में संशोधन करते हुए दिनांक 30.11.2019 तक की वृद्धि की जाती है। उक्त संशोधित समयावधि के भीतर जानकारियाँ अद्यतन न करने की स्थिति में परिपत्र क्रमांक–17 की कंडिका 4 में वर्णित विलम्ब शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

24/10/2019

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर,